संख्या-79/2019/463/22-2-2018-17(211)/2006

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 14 अगस्त, 2019**

विषय:-आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश ऊर्फ राजू पुत्र श्री प्रेम गिरि, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12284/प्रोबेशन-3/फार्म-ए(एम-06-09-2016) दिनांक-26-03-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-03-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राजेश ऊर्फ राजू पुत्र श्री प्रेम गिरि, निवासी ग्राम-बजरखा, थाना-मितौली, जनपद-लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। पूर्व में हुई हत्या की रंजिश में बन्दी ने 23 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23.06.1990 को सांय लगभग 5:00 बजे 05 व्यक्तियों की हत्या की, जिनमें एक 10 साल का बच्चा भी शामिल था, जिसे मारकर जलती हुई आग में झोंक दिया तथा 03 व्यक्तियों के सर काट दिये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-29/1991 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436, 449, 201, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 19.09.1995 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.1997 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.10.1997 द्वारा यथावत रखा गया।। बन्दी द्वारा दिनांक 04.03.2016 तक 20 वर्ष 00 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 07 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि **बन्दी की आयु-49 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा अतिरिकत 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश ऊर्फ राजू पुत्र श्री प्रेम गिरि को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजेश ऊर्फ राजू (बन्दी संख्या पुराना-14478 नया-16068) पुत्र श्री प्रेम गिरि, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-79/2019/**463(1)/22-2-2018** तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद लखीमपुर खीरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-79/2019/463/22-2-2018-17(211)/2006

दिनांक 14 अगस्त, 2019 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश ऊर्फ राजू (बन्दी संख्या पुराना-14478 नया-16068) पुत्र श्री प्रेम गिरि, निवासी ग्राम-बजरखा, थाना-मितौली, जनपद-लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। पूर्व में हुई हत्या की रंजिश में बन्दी ने 23 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 23.06.1990 को सांय लगभग 5:00 बजे 05 व्यक्तियों की हत्या की, जिनमें एक 10 साल का बच्चा भी शामिल था, जिसे मारकर जलती हुई आग में झोंक दिया तथा 03 व्यक्तियों के सर काट दिये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-29/1991 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436, 449, 201, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 19.09.1995 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.1997 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.10.1997 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.03.2016 तक 20 वर्ष 00 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 07 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि **बन्दी की आयु-49 वर्ष लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं है, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश ऊर्फ राजू पुत्र श्री प्रेम गिरि को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।**

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in